

सुरजा राम कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री बनाम हरियाणा राज्य,
आदि (एस. एस. संधावालिया, सी.जे.)

समक्ष एस. एस. संधावालिया, सी. जे. और एस. सी. मित्तल, जे.

सुरजा राम कपास जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरी - प्रार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य— उत्तरदाताओं

सिविल रिट याचिका सं. 1976 का 2738

14 अगस्त, 1978

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1973 का 20) - धारा 25, 46, 47, 51 और 65, - भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 20 - पंजाब सामान्य खंड अधिनियम (1898 का 1) - धारा 22 - धारा 46 के तहत दंड की मात्रा निर्धारित करने के लिए आयुक्त में निहित विवेकाधिकार - क्या अनिर्देशित और असंवैधानिक - धारा 25 (5), 46, 47 और 51- चाहे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा हो - रिटर्न दाखिल करने में विफलता - चाहे वह एक आपराधिक अपराध है और अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करता है - नियमों द्वारा निर्धारित रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला रिटर्न - अधिनियम के तहत काफी समय से नहीं बनाए गए नियम - पिछले कानून के तहत नियम - क्या अधिनियम के तहत तैयार किए गए माने गए माने गए हैं।

निर्धारित किया गया, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 46 के आधार पर, विधायिका ने स्वयं क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये के जुर्माने की न्यूनतम और अधिकतम मात्रा निर्धारित की है और इसे एक बड़ा अंतर नहीं कहा जा सकता है और वास्तव में यह अपने आप में एक संकीर्ण सीमा है। इसके अलावा, जुर्माना लगाने के संबंध में एक प्रावधान को इतना काटा और सुखाया नहीं जा सकता है कि विभिन्न प्रकार की स्थितियों को पूरा करने के लिए ऐसा करने की शक्ति के साथ निहित प्राधिकरण में सभी विवेकाधिकार को खारिज कर दिया जाए, जो अनिवार्य रूप से उत्पन्न होना चाहिए। इसके अलावा, धारा 46 अपने आप में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती है और यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि जुर्माना केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब चूक पर्याप्त कारण के बिना की गई हो। इसके अलावा, यह प्रावधान करके प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं के अनुरूप है कि अपराधी डीलर को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही यह है कि विधायिका द्वारा निर्धारित संकीर्ण सीमा के भीतर दंड आयुक्त या उसके प्रतिनिधि के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यहां विधायिका द्वारा विवेकाधिकार किसी भी मंत्रिस्तरीय या सामान्य स्थान के अधिकारी में निहित नहीं किया गया है, बल्कि स्वयं आयुक्त या उसकी सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति में निहित है। यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत आयुक्त एक उच्च रैंकिंग प्राधिकरण है और जहां विवेकाधिकार स्वयं सरकार या उसके उच्च रैंकिंग अधिकारियों में निहित किया गया है जो अपने आप में एक प्रावधान की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए एक भौतिक कारक होगा।

(पैरा 6 to 8)

निर्धारित किया गया कि कर जमा करने में विफलता और रिटर्न जमा करने में चूक समान चीजें नहीं हैं। एक दूसरे की अनुपस्थिति में हो सकता है। जबकि कर अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत जमा किया जा सकता है और रिटर्न दाखिल करने में चूक हो सकती है या इसके विपरीत जहां केवल कर जमा करने की आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना कर रिटर्न जमा किया जा सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (5) केवल देय कर का भुगतान

करने में विफलता के मामले में लागू होती है और रिटर्न जमा करने में विफलता के संदर्भ में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अधिनियम की धारा 47 के प्रावधान, हालांकि, पूरी तरह से अलग प्रकृति के हैं और पूरी तरह से अलग क्षेत्र में काम करते हैं। देय कर का भुगतान करने में विफलता पर इसके तहत जुर्माना लगाना न तो स्वचालित है और न ही अपरिहार्य है। इसमें आयुक्त को जुर्माना लगाने का विवेकाधिकार दिया गया है और यह स्पष्ट है कि शक्ति का प्रयोग किसी भी मामले में प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है। इस धारा में डीलर को उसके हितों के प्रतिकूल कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। दंड के प्रावधान स्पष्ट रूप से विवेकाधीन हैं और स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद केवल अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए लगाए जाएंगे। फिर, अधिनियम की धारा 51 की सरल भाषा के संदर्भ से पता चलता है कि यह केवल उन मामलों में जुर्माना लगाने को अधिकृत करता है जहां इस अधिनियम के तहत इस तरह के उल्लंघन या विफलता के लिए कोई अन्य दंड प्रदान नहीं किया गया है। ऐसा होने पर, जब धारा 25 और 46 स्वयं स्पष्ट रूप से कर आदि के रिटर्न जमा करने में विफलता की स्थिति से संबंधित हैं, तो धारा 51 संभवतः ऐसी स्थिति की ओर आकर्षित नहीं हो सकती है! (पैरा 11, 12 and 14).

निर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 25 और 46 के तहत चूक एक अपराध नहीं है, और यह कहने का कोई कारण नहीं है कि कानून किसी भी आपराधिकता को संलग्न करता है, साथ ही साथ निर्धारित कर रिटर्न दाखिल करने में विफलता के संदर्भ में। ऐसा ही है। भारत के संविधान 1950* का अनुच्छेद 20 बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है और दोहरे खतरे का कोई सवाल नहीं है जो स्पष्ट रूप से आपराधिक अपराधों के संदर्भ में उठता है। (पैरा 13).

निर्धारित किया गया, यह अधिनियम की धारा 65 और धारा का एक सादा पाठ है। पंजाब जनरल के 221 खंड अधिनियम, 1898 से पता चलता है कि पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1948 जो उस समय हरियाणा में लागू था, को निरस्त कर दिया गया था और बाद के प्रावधान के आधार पर इसके तहत बनाए गए नियम लागू रहेंगे और अधिनियम के तहत बनाए गए या जारी किए गए माने जाएंगे। इस प्रकार उस अवधि के दौरान जब अधिनियम के तहत नियम तैयार नहीं किए गए थे, अधिनियम की धारा 25 के तहत रिटर्न दाखिल करने का तरीका और तरीका पंजाब सामान्य बिक्री कर नियमों में प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा पर्याप्त रूप से शासित रहा। (पैरा 15).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत संशोधित याचिका में प्रार्थना की गई है कि:

- a) *कि धारा 46, 47 और 25 को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है;*
- b) *अनुलग्नक "पी -1" को प्रमाण पत्र की रिट जारी करके रद्द किया जा सकता है;*
- c) *कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, जारी किया जा सकता है;*
- d) *यह कि याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जाए और आगे प्रार्थना की जाए कि प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा की गई मांग को पूरा किया जाए। 2 आदेश पारित करके अनुलग्नक "पी -1" और उस पर शुरू की गई वसूली कार्यवाही पर रिट याचिका का निर्णय होने तक रोक लगाई जा सकती है।*

याचिकाकर्ता की ओर से आर. सी. डोगरा, अधिवक्ता।

सुरजा राम कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री बनाम हरियाणा राज्य,
आदि (एस. एस. संधवालिया, सी.जे.)

एस.सी.उत्तरदाताओं के लिए मोहंता, ए.जी.

एस.एस. संधवालिया, सी.जे.

1. हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 की धारा 46 की संवैधानिकता एकमात्र सवाल है जो इस रिट याचिका में उठाया गया है। हालांकि, शुरुआत में, यह याद करने योग्य है कि अधिनियम की धारा 25 और 47 की वैधता को एक खंडित चुनौती भी रिट याचिका में ही उठाई गई थी, लेकिन बहस के चरण में श्री आरसी डोगरा ने स्पष्ट रूप से इन प्रावधानों को चुनौती देने में अपनी असमर्थता स्वीकार की और केवल धारा 46 की संवैधानिकता के खिलाफ अपने तर्कों को सीमित करने की मांग की।
2. इसलिए, तथ्यों को केवल उपर्युक्त संदर्भ में पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता-फर्म निश्चित रूप से हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के तहत एक पंजीकृत डीलर है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि क्रमशः 31 दिसंबर, 1973 और 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाली तिमाहियों की भौतिक अवधि के लिए अधिनियम के तहत निर्धारित कोई रिटर्न उनकी ओर से दाखिल नहीं किया गया था। इसके अलावा 30 जून, 1973 और 30 सितंबर, 1973 को समाप्त तिमाही के लिए रिटर्न देर से दाखिल किए गए। नतीजतन, अधिनियम की धारा 46 के तहत याचिकाकर्ता-फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसके अनुपालन में फर्म के प्रबंधक उपस्थित हुए और अपने मामले का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, आकलन प्राधिकरण, सिरसा ने 5 अप्रैल, 1976 के अपने आदेश के तहत अनुबंध पीएल के तहत याचिकाकर्ता-फर्म पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
3. यह विवाद में नहीं है कि आकलन प्राधिकरण का उपरोक्त आदेश अपील योग्य है, हालांकि याचिकाकर्ता-फर्म ने स्पष्ट रूप से उस उपाय का सहारा नहीं लिया। हालांकि, श्री डोगरा ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जहां तक इस रिट याचिका का संबंध है; संबंधित मामला विशुद्ध रूप से अधिनियम की धारा 46 की वैधता के कानूनी मुद्दे तक ही सीमित है। इसलिए, संदर्भ की सुविधा के लिए, इसे पहले निर्धारित किया जाना चाहिए: -

धारा 46. यदि कोई डीलर बिना किसी पर्याप्त कारण के धारा 25 की उपधारा (2) के उपबंधों की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे डीलर को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उसे जुर्माने के माध्यम से उस दर पर गणना की गई राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है जो पांच रुपये से कम या दस रुपये से अधिक नहीं होगी। हर उस दिन के लिए जिसके दौरान डिफॉल्ट जारी रहता है।

यहां ऊपर दी गई धारा 25 के उपबंधों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, धारा 25 के उपबंधों को पुनरुत्पादित करना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है:-

- "25 (1) इस अधिनियम के तहत देय कर, ऐसे अंतराल पर इसके बाद प्रदान किए गए तरीके से भुगतान किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
2. ऐसा डीलर जो अपेक्षित हो सकता है वह निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से दिए गए नोटिस द्वारा करे और प्रत्येक पंजीकृत डीलर ऐसी तिथियों तक और ऐसे प्राधिकारी को, जैसा भी विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

3. इससे पहले कि कोई पंजीकृत डीलर उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करे, वह निर्धारित रीति से इस अधिनियम के अधीन उससे देय कर की पूरी राशि का भुगतान ऐसे विवरणियों के अनुसार सरकारी राजकोष अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक को करेगा और ऐसी राशि के भुगतान को दर्शाते हुए ऐसे कोषागार या बैंक से प्राप्त विवरणी रसीद के साथ प्रस्तुत करेगा।
4. यदि किसी डीलर को उसके द्वारा प्रस्तुत किसी रिटर्न में कोई चूक या अन्य त्रुटि का पता चलता है, तो वह अगली रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय वह एक संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करता है, और यदि संशोधित रिटर्न में मूल रिटर्न में दिखाए गए कर की तुलना में अधिक कर बकाया होता है, तो इसके साथ एक रसीद भी होगी जिसमें अतिरिक्त राशि की उप-धारा (3) में प्रदान किए गए तरीके से भुगतान दिखाया जाएगा।
- (5) यदि कोई डीलर उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित कर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उप-धारा (2) के तहत रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि से शुरू होने वाली तारीख से एक प्रतिशत प्रति माह की दर से देय राशि पर देय कर देय साधारण ब्याज के अतिरिक्त एक महीने की अवधि के लिए और डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके बाद अवधि के दौरान वह भुगतान में चूक करना जारी रखता है:

बशर्ते कि ब्याज की गणना के उद्देश्य से, महीने के किसी भी हिस्से को एक महीने के रूप में माना जाएगा और एक सौ रुपये का कोई भी हिस्सा एक सौ रुपये माना जाएगा।

4. हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 25क के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से बिक्री-कर रिटर्न प्रस्तुत करने और उसके तहत कर के भुगतान के संबंध में कानून में निर्धारित योजना का व्यापक रूप से पता चलेगा। यह करने का तरीका और अवधि धारा 2 (i) के आधार पर अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जानी है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम 1975 अधिनियम के तहत विधिवत रूप से तैयार किए गए हैं। इसके बाद पंजीकृत डीलरों को धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा सरकारी खजाने या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में निर्धारित तरीके से देय कर जमा करने और ऐसे ट्रेजरी या बैंक से इसके लिए रसीद प्राप्त करने का आदेश दिया जाता है- धारा 25 (2) के संदर्भ से पता चलेगा कि प्रत्येक पंजीकृत डीलर ऐसी तारीखों तक और ऐसे प्राधिकारी को बिक्री कर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और उसके साथ उसे जमा किए गए कर की राशि के लिए रसीद संलग्न करनी होगी। धारा 25 की उप-धारा (4) के लिए कोई विस्तृत संदर्भ आवश्यक नहीं है जो संशोधित रिटर्न दाखिल करने से संबंधित है जो पहले रिटर्न में किसी भी चूक या त्रुटि का पता चलने पर आवश्यक हो सकता है। इसमें सामग्री प्रावधान उप-धारा (5) है जो आवश्यक कर का भुगतान करने में विफलता को दंडित करता है और आगे की शर्त है कि इस तरह की चूक में निर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज का भुगतान शामिल होगा। जैसा कि धारा 46 में स्पष्ट है, निर्धारित कर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के लिए अलग से दंड का प्रावधान है।

- 5 रिटर्न जमा करने और कर के भुगतान की उपरोक्त योजना के संदर्भ में, धारा 46 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए श्री डोगरा के तर्क का मूल यह है कि विधायिका ने आयुक्त या उनके प्रतिनिधि में हर दिन के लिए 5 रुपये से 10 रुपये तक का कोई जुर्माना लगाने

सुरजा राम कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री बनाम हरियाणा राज्य,
आदि (एस. एस. संधवालिया, सी.जे.)

का अनिर्देशित विवेक निहित किया है, जिसके दौरान रिटर्न दाखिल करने में चूक या विफलता जारी रहती है। कुछ दृढ़ता के साथ यह तर्क दिया गया कि विधायिका द्वारा ही कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं और यह आयुक्त या उनके प्रतिनिधि की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि या तो न्यूनतम 5 रुपये का जुर्माना या अधिकतम जुर्माना प्रति दिन आईक्यू लगाया जाए।

6 मेरे विचार से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त तर्क गलत है। यहां जो प्रकट होता है वह यह तथ्य है कि विधायिका ने स्वयं क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की न्यूनतम और अधिकतम राशि निर्धारित की है। इसे एक बड़ा अंतर नहीं कहा जा सकता है और वास्तव में यह अपने आप में एक संकीर्ण सीमा है। इसके अलावा, मैं यह देखने में असमर्थ हूँ कि दंड लगाने के संबंध में एक प्रावधान को इतना कम और सुखाया जा सकता है कि विभिन्न प्रकार की स्थितियों को पूरा करने के लिए ऐसा करने की शक्ति वाले प्राधिकरण में सभी विवेकाधिकार को खारिज कर दिया जाए, जो अनिवार्य रूप से उत्पन्न होनी चाहिए। इनमें एक तरफ कर चोरी या छिपाने के स्पष्ट उद्देश्य से रिटर्न दाखिल करने में जानबूझकर चूक करने से लेकर दूसरी तरफ ऐसा करने के लिए अनजाने में, ईमानदार या अपरिहार्य चूक तक हो सकती है। व्यापक दंडात्मक उपबंधों के बीच, मैं ऐसे किसी प्रावधान को याद नहीं कर पा रहा हूँ जो इसे लागू करने के लिए संबंधित प्राधिकारी पर यथोचित विवेकाधिकार नहीं छोड़ता हो। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क यह प्रतीत होता है कि दंड की मात्रा के संबंध में आयुक्त को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और इसे या तो विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए या गणितीय रूप से सटीक सूत्र द्वारा शासित किया जाना चाहिए। यह न तो संभव है और न ही वांछनीय है। प्रतिवादी राज्य के वकील ने आपराधिक कानून की तर्ज पर दंड संहिता द्वारा निहित व्यापक विवेकाधिकार की ओर इशारा किया, जिसमें अनंत और अनिर्दिष्ट जुर्माना से लेकर कारावास या दोनों की सबसे भारी शर्तों तक की सजा देने के लिए दंड संहिता द्वारा निहित व्यापक विवेकाधिकार शामिल है।

7 यह याद रखना होगा कि धारा 46 अपने आप में कई प्रकार के सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती है। स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि दंड क्या है केवल तभी लगाया जा सकता है जब डिफ़ॉल्ट पर्याप्त कारण के बिना किया गया हो। इसके अलावा, यह प्रावधान करके प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं के अनुरूप है कि अपराधी डीलर को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही यह है कि विधायिका द्वारा निर्धारित संकीर्ण सीमा के भीतर दंड आयुक्त या उसके प्रतिनिधि के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

8 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहां विवेकविधायिका द्वारा किसी भी मंत्रिस्तरीय या सामान्य अधिकारी में निहित नहीं किया गया है, बल्कि आयुक्त या उसकी सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति में निहित है। धारा 3(1) के संदर्भ से पता चलता है कि केवल राज्य सरकार ही आयुक्त और उसकी सहायता करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करने की हकदार है। यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत आयुक्त एक उच्च रैंकिंग प्राधिकरण है। अंतिम न्यायालय के असंख्य निर्णयों में, यह माना गया है कि जहां विवेकाधिकार स्वयं सरकार या उसके उच्च पदस्थ अधिकारियों में निहित किया गया है, वह अपने आप में किसी प्रावधान की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

9 जब याचिकाकर्ता के वकील पर दबाव डाला गया, तो उन्हें स्पष्ट रूप से स्वीकार करना पड़ा कि उनके द्वारा दिए गए नए प्रस्ताव के लिए एक भी प्राधिकारी उपलब्ध नहीं था कि अधिकतम या न्यूनतम राशि द्वारा सीमित होने पर भी दंड देने वाले प्राधिकारी को केवल विवेकाधिकार प्रदान करना एक ऐसा है जिसे मनमाना और इसलिए असंवैधानिक कहा जा सकता है- I, इसलिए, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए उपरोक्त विवाद में सैद्धांतिक

रूप से या मिसाल में कोई दम नहीं है। इसलिए, इसे आवश्यक रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

10 याचिकाकर्ताओं की ओर से एक समान रूप से कमजोर तर्क यह दिया गया था कि कर रिटर्न दाखिल करने में विफलता से चूककर्ता डीलर को धारा 25 और 46 के तहत एक साथ तीन खतरों का सामना करना पड़ेगा। अनुच्छेद 14 और 20 दोनों के उल्लंघन को उपरोक्त काल्पनिक आधार पर लागू करने की मांग की गई थी, विवाद को विस्तार से बताते हुए यह तर्क दिया गया था कि धारा 25 के तहत कर रिटर्न दाखिल करने में विफलता अनिवार्य रूप से बकाया कर जमा करने में विफलता का कारण बनेगी और यह सीधे धारा 25 (5) के प्रावधानों को आकर्षित करेगा जिस पर ब्याज के भुगतान की आवश्यकता होती है। विद्वान वकील के अनुसार, यही चूक, अधिनियम की धारा 47 के तहत रिटर्न के अनुसार देय कर का भुगतान करने में विफलता के लिए जुर्माना कार्यवाही के लिए उजागर करेगी। अंत में विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 51 के आधार पर इस चूक को इसके तहत दंडनीय अपराध भी कहा जा सकता है।

11 यहां तक कि उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने पर भी यह स्पष्ट होगा कि ये व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से योग्यता के बिना प्रतीत होते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले इस तथ्य पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि कर जमा करने में विफलता और रिटर्न जमा करने में चूक समान चीजें नहीं हैं। कोई आसानी से कल्पना कर सकता है कि दूसरे की अनुपस्थिति में एक कहां हो सकता है। जबकि कर धारा 25 (3) के तहत जमा किया जा सकता है, फाइलिंग में एक चूक। रिटर्न हो सकता है या *इसके विपरीत* जहां केवल कर जमा करने की आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना कर रिटर्न जमा किया जा सकता है। इसलिए मूल भ्रम - दोनों को समान या सह-टर्मिनस के रूप में मानने का तर्क। अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (5) केवल देय कर का भुगतान करने में विफलता के मामले में लागू होती है और रिटर्न जमा करने में विफलता के संदर्भ में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह प्रावधान अन्यथा एक सराहनीय प्रावधान है और ब्याज के भुगतान के बिना अपने हाथ में पैसे के रूप में देय कर को वापस रखने के लिए डीलरों के दुरुपयोग या प्रलोभन के खिलाफ निर्देशित है। यह याचिकाकर्ता के अपने रुख के लिए विद्वान वकील था कि यहां विधायिका ने किसी भी प्राधिकरण पर कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ा है और कर जमा करने में चूक के मामले में ब्याज का भुगतान कमोबेश स्वचालित है।

12 अधिनियम की धारा 47 के प्रावधान, हालांकि, कला पूरी तरह से अलग प्रकृति के हैं और पूरी तरह से अलग क्षेत्र में काम करते हैं। देय कर का भुगतान करने में विफलता पर इसके तहत जुर्माना लगाना न तो स्वचालित है और न ही अपरिहार्य है। इसमें आयुक्त को जुर्माना लगाने का विवेकाधिकार दिया गया है और यह स्पष्ट है कि शक्ति का प्रयोग किसी भी मामले में प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है। इस धारा के तहत डीलर को उसके हितों के प्रतिकूल कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। जुर्माने की मात्रा अपने आप में सीमित है और यह कर की राशि के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसका आकलन कानून के तहत उसके खिलाफ किया जा सकता है। दंड के प्रावधान स्पष्ट रूप से विवेकाधीन हैं और स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद केवल अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए लगाए जाएंगे। धारा 47 के तहत स्थिति को धारा 25 (5) के तहत एक के साथ तुलना करना वास्तव में एक दूर की बात प्रतीत होती है, जो स्पष्ट रूप से एक वाणिज्यिक निवारक है जो अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत आवश्यक रूप से जमा नहीं किए गए कर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए देयता प्रदान करता है।

सुरजा राम कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री बनाम हरियाणा राज्य,
आदि (एस. एस. संधवालिया, सी.जे.)

13 याचिकाकर्ता फर्म के वकील की यह आशंका कि रिटर्न दाखिल करने में विफलता भी एक आपराधिक अपराध होगा, फिर से अच्छी तरह से कल्पना नहीं की गई प्रतीत होती है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने दृढ़ता से यह रुख अपनाया कि धारा 25 या 46 के तहत चूक निश्चित रूप से एक अपराध नहीं है और इसे किसी भी तरह से मौजूदा प्रावधानों पर अपराध की शरारत के भीतर नहीं लाया जा सकता है। प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील द्वारा अपनाए गए दृढ़ रुख के अलावा, अन्यथा यह कहने का कोई कारण नहीं दिखता है कि वर्तमान कानून निर्धारित कर-रिटर्न दाखिल करने में विफलता के संदर्भ में किसी भी आपराधिकता को भी जोड़ता है। ऐसा होने पर, संविधान का अनुच्छेद 20 बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है और दोहरे खतरे का तर्क जो स्पष्ट रूप से आपराधिक अपराधों के संदर्भ में उठता है, पूरी तरह से अस्थिर है।

14 अधिनियम की धारा 51 की कथित प्रयोज्यता के बारे में कुछ गलतफहमियों को दूर करना भी उतना ही अच्छा होगा। वकील ने तर्क दिया कि, धारा 25 और 46 की प्रयोज्यता के अलावा, धारा 51 के दंड प्रावधान भी उसी चूक के लिए लागू होंगे। यह तर्क अस्वीकार्य है क्योंकि धारा 51 की सीधी भाषा के संदर्भ से पता चलता है कि यह केवल उन मामलों में जुर्माना लगाने का अधिकार देता है जहां *इस तरह के उल्लंघन या विफलता के लिए इस अधिनियम के तहत कोई अन्य दंड प्रदान नहीं किया गया है* - ऐसा होने पर, जब धारा 25 और 46 स्वयं स्पष्ट रूप से कर रिटर्न जमा करने में विफलता की स्थिति से निपटते हैं, आदि, तो धारा 51 संभवतः इस स्थिति की ओर आकर्षित नहीं हो सकती है।

15 अंत में, यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम की धारा 25 में निर्धारित रिटर्न जमा करने की आवश्यकता थी, जो बदले में इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होना था। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया था कि काफी समय से हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 के तहत कोई नियम नहीं बनाया गया था। इस विवाद को सीधे अधिनियम की धारा 65 और पंजाब सामान्य खंड अधिनियम, 1898 की धारा 22 के संयुक्त पठन से पूरा किया जाता है। पूर्व प्रावधान द्वारा, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948, जो उस समय हरियाणा में लागू था, को निरस्त कर दिया गया था और बाद के प्रावधान के आधार पर इसके तहत बनाए गए नियम लागू रहेंगे और इस अधिनियम के तहत बनाए गए या जारी किए गए माने जाएंगे। इस बात पर भी विवाद नहीं है कि बाद में हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 नवंबर, 1975 में लागू किए गए और इसके नियम 72 ने पंजाब सामान्य बिक्री कर नियम, 1949 को निरस्त कर दिया, जिसने स्पष्ट रूप से अधिनियम के तहत उस समय तक क्षेत्र को बनाए रखा था। नतीजतन, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 25 के तहत रिटर्न दाखिल करने का तरीका और तरीका पंजाब सामान्य बिक्री कर नियमों में प्रासंगिक प्रावधानों और बाद में अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से बनाए गए 1975 के नियमों द्वारा पर्याप्त रूप से शासित रहा।

16 रिट याचिका बिना मेरिट के होने के कारण इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। हालांकि, यह याचिकाकर्ता-फर्म को आकलन प्राधिकरण के आक्षेपित आदेशों के खिलाफ संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 58 के आधार पर अपील के माध्यम से अपने सामान्य उपाय को आगे बढ़ाने से नहीं रोकेगा।

एस.सी. *मितल*, जे.मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका

उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी